विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 4 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–13/2022–लेज.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 8) को दिनांक 29–09–2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अधिनियम, 2022

धाराओं के क्रम

धाराः

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

अध्याय–2
मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 12 का लोप।

अध्याय–3
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन

3. धारा 11–क. का लोप।

अध्याय–4
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन

4. धारा 6–कक. का लोप।

अध्याय—5

प्रकीर्ण

5. 2022 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2022 का अधिनियम संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अधिनियम, 2022

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 सितम्बर, 2022 को यथा अनुमोदित)

मन्त्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संदाय से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन करने के लिए **अधिनियम**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अधिनियम, 2022 है।

(2) यह 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय—2

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. **धारा 12 का लोप.**——मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 12 का लोप किया जाएगा।

अध्याय—3

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन

3. **धारा 11—क. का लोप.**——हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 11—क. का लोप किया जाएगा।

अध्याय—4

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन

4. **धारा 6—क. का लोप.**——हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 6—कक का लोप किया जाएगा।

अध्याय–5
प्रकीर्ण

5. 2022 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृतियाँ.——(1) हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PAYMENT OF INCOME TAX ON SALARIES AND ALLOWANCES OF CERTAIN CATEGORIES ACT, 2022

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

CHAPTER-1
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Omission of section 12.

CHAPTER-III
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

3. Omission of Section 11-A.

CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

4. Omission of Section 6-AA.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

5. Repeal of the H.P. Ordinance No. 2 of 2022 and savings.

Act No. 16 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH PAYMENT OF INCOME TAX ON SALARIES AND ALLOWANCES OF CERTAIN CATEGORIES ACT, 2022

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH SEPTEMBER, 2022)

AN

ACT

to amend the provision regarding payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Ministers, Speaker, Deputy Speaker and Members of the Legislative Assembly.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follow:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2022.

CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Omission of Section 12.—In the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, Section 12 shall be omitted.

CHAPTER-III
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

3. Omission of Section 11-A.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, Section 11-A shall be omitted.

CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

4. Omission of Section 6-AA.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, Section 6-AA shall be omitted.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

5. Repeal of the H.P. Ordinance No. 2 of 2022 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Ordinance, 2022 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.